39

संख्या:– 2371/ II–2013–03(12)/2013

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग देहरादूनः दिनांक 25 सितम्बर, 2013

विषयः साख–सीमा निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 6129/मु0अ0वि0/बजट/सामान्य, दिनांक 25.06.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभाग अन्तर्गत सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग द्वारा अनुदान सं0 30 के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा मद के अन्तर्गत निर्गत किये गये 66 सं0 चैकों, जिनकी कुल धनराशि ₹ 86,93,077.00 है, का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, रूद्रप्रयाग द्वारा कोषागार से सी0सी0एल0 निर्गत हुए बिना कर दिये जाने और कोषागार द्वारा इनका भुगतान अस्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भुगतान किये गये प्रश्नगत चैकों की धनराशि को समायोजित करने हेतु संलग्न बी0एम0–09 (1) में अंकित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 86,93000.00 (₹ छियासी लाख तिरानवे हजार मात्र) साख–सीमा निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) **उपरोक्त पुराने चैकों को मूल रूप में बैंक से वापस प्राप्त कर उसे निरस्त करते हुए नये चैक निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में बैंक द्वारा भुगतान की गयी उक्त धनराशि राज्य सरकार के खाते से आहरित नहीं की गयी है। इस हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।**

(ii) उक्त हेतु साख–सीमा के वर्ष 2013–14 में सम्बन्धित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की सीमा अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(iii) उक्त प्रकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय एवं भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा। साथ ही बैंक के स्तर पर हुई त्रुटि के लिए भी उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(iv) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 30 के आयोजनागत मद में संलग्न बी0एम0–09(1) के स्तम्भ–7 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा स्तम्भ–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–326/XXVII(2)/2013, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 2371(1)/ ||–2013–03(12)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, दे0दून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो, इस हेतु समस्त विभागाध्यक्षों (सी0सी0एल0 वाले) तथा बैंक को निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें।
10. वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनुसचिव।

## उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2012-2013)
बी .एम. - 09

अनुदान संख्या - **030**
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 326/XXVII/(2)/2013, date

अलोटमेंट आईडी - **R1309300031**
दिनांक - **24-Sep-2013**

(In Rupees)

| क्रम संख्या | बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्शक (1) | मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2) | वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3) | अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4) | लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5) | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6) | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय<br>05 सिंचाई नहरों की नयी योजनायें<br>800 अन्य व्यय<br>01 केन्द्रीय आयोजनागत एवं केन्द्र पुरोनिधा<br>01 एआईबीपी योजना में नहर निर्माण<br>(Plan Voted) | | | | 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँ<br>01 बाढ नियंत्रण<br>103 सिविल निर्माण कार्य<br>02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल<br>01 अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नई<br>(Plan Voted) | | | |
| 1 | 24 - वृहत् निर्माण कार्य 450000000 | 0 | 441307000 | 8693000 | 24 - वृहत निर्माण कार्य 8693000 | 18693000 | 441307000 | |
| | योग | | | 8693000 | योग 8693000 | | | |

**प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता**

**पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 15 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी**

24/09/2013

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव,
सिंचाई एवं गृह विभाग
उत्तराखण्ड शासन

प्रपत्र बी0एम0 – 9 (भाग–एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन

अनुदान सं0 व नाम–30, आयोजनागत
लेखाशीर्षक (प्रत्येक योजना हेतु)
मुख्य शीर्षक–4700–मुख्य सिंचाई पूंजीगत परिव्यय
05–सिंचाई नहरों की नई योजनायें
800–अन्य व्यय
01–केन्द्रीय आयोजनागत एवं केन्द्रपुरोनिधानित योजनायें
0101–ए0आई0बी0पी0 योजना में नहर निर्माण
24–वृहत निर्माण कार्य

वित्तीय वर्ष 2013–14
(₹ हजार में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जाये | | निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जाये | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में आयोजनागत/आयोजनेत्तर | आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें | अंतरित की जाने वाली राशि | वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि | अंतरण के पश्चात् अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5) | लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर | वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय | अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धन राशि | अंतरण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4700–05–800–01–01–24 | 450000 | 450000 | 8693.077 | 8693 | 18693 | 4711–01–103–02–01–24 | 10000 | 18693.077 14 | 8693.077 | 8693 | 441307 |

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।
संख्या आर0ई0 –ई 326 /एक्स XXVII(2)/2013 दिनांक 23-09-2013

सेवा में,
महालेखाकार (ए एंड ई)
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम– प्रेम सिंह बिष्ट, अनु सचिव।
प्रशासनिक विभाग–सिंचाई विभाग

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम–डा0 एम0सी0 जोशी, अपर सचिव।
वित्त विभाग

**संख्या 2371/ II–2013–03(12)/2013 दिनांक** 25-8-2013

निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित:–

1– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी
2– निदेशक कोषागार 23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
4– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम–डा0 एम0सी0 जोशी, अपर सचिव।
वित्त विभाग।